न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 324/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. रामनिवास पुत्र उमाराम 2. कुशालराम पुत्र उमाराम 3. राकेश पुत्र उमाराम 4. सुभाष पुत्र उमाराम (सभी जाति जाट, निवासी ग्राम भैरू, नगर, उस्तरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर)		1. गंगाराम पुत्र मंगाराम 2. बादरराम पुत्र मंगाराम (जाति जाट, निवासी ग्राम भैरू नगर, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर) 3. करनाराम पुत्र बुधाराम 4. मांगाराम उर्फ मांगीलाल पुत्र बुधाराम (जाति जाट, निवासी ग्राम भैरू नगर, उस्तरा, तह. भोपालगढ, जिला जोधपुर) 5. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (जोधपुर) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 2021/165 दिनांक 10.06.2022

उपस्थित–
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट्स
2. श्री जगदीश प्रजापत, वकील रेस्पो0सं0 1 व 2
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 5
4. रेस्पो0सं0 3 व 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 05.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 2021/165 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 दिनांक के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील भोपालगढ के ग्राम भैरूनगर स्थित खसरा नं0 1276/10 रकबा 0.9470 हैक्टर भूमि पीढीयों से प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 की कब्जा

काश्त है। जो ग्राम भैरूनगर के खसरा नं0 1327 के उत्तर दिशा में नजरी नक्शा अनुसार अ, ब, स, द पर स्थित है। विवादित खसरा नं0 1276/10 की तरमीम करते वक्त न तो मौके पर आकर कब्जा काश्तनुसार तरमीम की गई और न ही तरमीम करते समय प्रार्थीगण को सूचित किया गया। अतः खसरा नं0 1276/11, 1276/25 व 1276/26 की तरमीम दुरूस्त कर विवादित खसरा नं0 1276/10 की तरमीम कब्जा काश्तनुसार नजरी नक्शानुसार अ ब स द स पर सही तरमीम करने का आदेश फरमावे। जिसे तहसीलदार भोपालगढ की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार कर, राजस्व रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि वस्तुतः मौके पर स्टेट हाईवे स्वीकृत हो जाने के कारण रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी की नीयत में फर्क आ जाने के कारण, खसरा नं0 1276/10 की गलत रूप से नई तरमीम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 व 136 का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना में अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 3 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत कर मौके की वस्तुस्थिति व नाप मंगवाये जाने का निवेदन किया गया था। जिसके पश्चात प्रकरण के निस्तारण में सुविधा हेतु दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा पूर्व से तैयार की गई रिपोर्ट को सही मानते हुए अपीलांट्स–अप्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो बिना मौका रिपोर्ट के अपास्त योग्य है तथा आरएलआर एक्ट की धारा 131 व 136 के प्रावधानों के विपरित है। तरमीम शुद्धि हेतु मौका रिपोर्ट व मौका नाप के बिना आदेश पारित नही किया जा सकता है। खसरा नं0 1276/10 रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि नही है, इस कारण उनका बिना कोई दस्तावेज के मौके पर गलत रूप से कब्जा मान कर, तरमीम शुद्धि का आदेश

पारित किया जाना विधिसंगत नही है। जबकि उक्त आदेश में अपीलांट्स व अन्य की भूमि के संबंध में किसी तरह का आदेश पारित नही किया गया है, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश बिना किसी प्रकिया के पारित किया गया है। अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1 व 2 के ग्राम भैरूनगर स्थित खसरा नं0 1276/25 व 1276/26 की तरमीम पूर्व से ही मौजूद होने के कारण रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी के खसरा नं0 1276/10 की तरमीम गलत रूप से किया जाना, धारा 131 व 136 के प्रावधानों के अंतर्गत शुद्ध नही किया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटीयुक्त होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम भैरूनगर स्थित खसरा नं0 1276/10 रकबा 0.9470 हैक्टर भूमि पीढीयों से रेस्पो0सं0 1 व 2 प्रार्थी की कब्जा काश्त है। जो ग्राम भैरूनगर के खसरा नं0 1327 के उत्तर दिशा में नजरी नक्शा अनुसार अ, ब, स, द पर स्थित है। विवादित खसरा नं0 1276/10 की तरमीम करते वक्त न तो मौके पर आकर कब्जा काश्तनुसार तरमीम की गई और न ही तरमीम करते समय प्रार्थीगण को सूचित किया गया। अतः खसरा नं0 1276/11, 1276/25 व 1276/26 की तरमीम दुरूस्त कर विवादित खसरा नं0 1276/10 की तरमीम कब्जा काश्तनुसार नजरी नक्शानुसार अ ब स द पर सही तरमीम करने का आदेश फरमाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे तहसीलदार भोपालगढ की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार कर, राजस्व रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 7

अतिरिक्त

सीपीसी का प्रस्तुत कर, प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा नं0 1276/10, 1276/11, 1276/25 व 1276/26 का मौका निरीक्षण एवं मौके की भौतिक स्थिति न्यायालय में प्रकट करने हेतु तहसीलदार भोपालगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके एवं रेकर्ड की स्थिति पेश करने का आदेश फरमाने हेतु आग्रह किया गया था तथा वे कमिश्नर फीस नियमानुसार अदा करने को तैयार थे, जिसे बाद सुनवाई तहसीलदार भोपालगढ का जवाब प्राप्त हो जाने से मौका कमिश्नर नियुक्त किए जाने का औचित्य नही होने का उल्लेख करते हुए आदेश दिनांक 18.4.22 द्वारा खारिज कर दिया गया।

इसी प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 व 3 से 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 आरएलआर एक्ट तथा फार्म नं0 3 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी कोई ध्यान नही दिया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्टतः यह उल्लेख किया गया है कि –

- प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नं0 1276/10 रकबा 0.09470 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में तरमीमशुदा है।
- अप्रार्थी सं0 2–मांगाराम की आवंटनसुदा, कब्जासुदा व तरमीसुदा खातेदारी भूमि भोपालगढ से हीरादेसर जाने वाली डामर सड़क के चिपते उत्तर दिशा में स्थित है। जिसमें से जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 1.5.14 को अप्रार्थी सं0 1 को 03.10 बीघा एवं अप्रार्थी सं0 3 से 6 को 03.10 बीघा निष्पादित किया गया। जिसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 2388 दिनांक 20.5.14 की पुश्त पर वर्णित नजरी नक्शा अनुसार ख0नं0 1276/11 मागाराम पुत्र बुधाराम–अप्रार्थी सं0 2, 1276/25 करनाराम पुत्र बुधाराम–अप्रार्थी सं0 1 तथा ख0नं0 1276/26 रामनिवास वगैरा–अप्रार्थी सं0 3 से 6 की भूमि खसरा नं0 1327 के चिपते उत्तर दिशा में तरमीमसुदा है।
- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तरमीमसुदा व कब्जासुदा भूमि ख0नं0 1276/11, 1276/25 व 1276/26 के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने वाले रास्ता की भूमि व सड़क सीमा में आने वाली भूमि को विवादग्रस्त भूमि मार्क अ,ब,स,द बताकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त तथ्यों के आधार पर इस मामले में मौका निरीक्षण एवं मौके की भौतिक स्थिति रिपोर्ट के अभाव में निर्णय तक पहुंच पाना संभव प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 18.04.22 एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.22 निरस्त किये जाते है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी के कम में मौका निरीक्षण एवं मौके की भौतिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर, उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 05 **अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर